साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें ...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-21 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 03 जुलाई 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

अयोग्य अधिकारी-जनप्रतिनिधि के खिलाफ HC क्या एक्शन लेता है जानिए- Legal General Knowledge

अधिकार-पृच्छा का अर्थ होता है %आपका अधिकार, क्या है? अर्थात हाईकोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यह रिट (अधिकार पृच्छा रिट(Quo- Warranto; क्वो वारंटो)) जारी करता है जिसने अवैध योग्यता के कारण कोई सार्वजनिक पद या लोकपद धारण किया है। जानिए क्या होता है लोक-पद।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट याचिका अधिकार-पृच्छा, की परिभाषा निम्न लोकपद या सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी की जाती है–

1. कोई स्पीकर का पद।
2. महाधिवक्ता का पद।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद।
4. कोई राज्यमंत्री, नगर पालिका परिषद सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रधान का पद आदि।

ऐसे पदों को किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से धारण कर लिया हो तब कोई भी व्यक्ति चाहे वह उस से पीड़ित हो या न हो तब अधिकार-पृच्छा रिट याचिका लगा सकता है।

अधिकार-पृच्छा रिट कब नहीं लगाई जा सकती है जानिए–

1.ऐसी नियुक्तियां या स्थानांतरण जो विधि के अनुसार नहीं किया गया हो।
2. ऐसा पद जो निजी स्वरूप का हो।
3. किसी मंत्री ने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ तोड़ी हो।

उधारानुसार वाद हरपाल सिंह बनाम स्टेट राजस्थान

उक्त मामले में पंचायत समिति के प्रधान पद पर ऐसा व्यक्ति था जो किसी अपराध में लिप्त था एवं प्रधान चुनाव लड़ना के लिए अयोग्य था फिर भी वह चुनाव लड़ा एवं चुन लिया गया ऐसे लोकपद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार पृच्छा रिट जारी की जा सकती है।

किसानों से सीधे संवाद के लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक किये जाये कार्यक्रम आयोजित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। कृषकों के हित संवर्धन के लिए लागू कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए। किसानों से सीधे संवाद के लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सहायक है। किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। ग्रामीण स्तर पर इस तरह के केन्द्रों का अधिक से अधिक विस्तार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को कम पानी और अल्प अवधि की फसलों के लिए जागरूक किया जाए। फसल चक्र में परिवर्तन और प्राकृतिक व जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए वातावरण बनाना आवश्यक है। खेती-किसानी से जुड़े स्थानीय पर्व और त्यौहारों तथा फसल चक्र के अनुसार किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। सुगमता और सरलता सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाए। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर होंगे फूड फेस्टिवल मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और किसानों के लिए ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं तथा पशुपालकों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल होंगे। इंदौर में होगा सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम बैठक में बताया गया कि खरगौन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और कपास एवं मिर्च महोत्सव के आयोजन की योजना है। अन्तर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर जबलपुर में कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार जबलपुर में ही कुक्कुट पालकों और उद्यमियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बुरहानपुर में केला महोत्सव, उज्जैन में हाईटेक नर्सरी और संरक्षित खेती पर कार्यशाला, सागर और रतलाम में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का राज्य स्तरीय सम्मेलन, नीमच में उद्यानिकी में आधुनिक तकनीक पर कार्यशाला, इंदौर में सब्जी महोत्सव तथा एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम और भोपाल पराली प्रबंधन पर कार्यशाला के साथ ही नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन भी प्रस्तावित है।

CPC 37-38: डिक्री आदेश पारित करने वाला और डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय कौन सा होता है जानिए

जब कोई सिविल मामला न्यायालय में प्रस्तुत होता है तब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे अन्य न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिये जाते हैं जैसे हम बात करते हैं जिला न्यायालय की जिला न्यायालय कुछ मामलों को अतिरिक्त न्यायालय को भेज देते हैं जब कोई डिक्री अतिरिक्त न्यायालय द्वारा पारित कर दी जाती है और अतिरिक्त न्यायालय को जिला न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तब डिक्री के निष्पादन के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जानिए महत्वपूर्ण जानकारी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 37 एवं 38 की परिभाषा (सरल एवं संक्षिप्त शब्दो मे)

1. (A). डिक्री परित करने वाला न्यायालय– सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के बारे मे बताती है, वह न्यायालय जहाँ प्रथम बार वाद लगाया गया हो एवं वह अपनी अधिकारिता क्षेत्र रखता है वही डिक्री पारित करेगा।

क्र ऐसा न्यायालय जिसका गठन मूल

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

न्यायालय के या उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो वह डिक्री पारित करेगा अर्थात जिला न्यायालय के नीचे का न्यायालय जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अतिरिक्त न्यायालय आदि।

2. डिक्री का निष्पादन– सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 डिक्री के निष्पादन के बारे में बताती है–

क. अतिरिक्त न्यायालय के समाप्त होने के बाद मूल न्यायालय डिक्री का निष्पादन करवाएगा

क्र अगर किसी मामले की अपील हो गई है ऐसी डिक्री पुनः अपीली न्यायालय द्वारा पारित की गई है तब प्रथम स्तरीय न्यायालय जिसमे परिवादी में वाद दायर किया था वही मूल न्यायालय डिक्री का निष्पादन करेगा न की अपीली न्यायालय।

एक उधारानुसार इसे सरल शब्दों में समझाते हैं कोई व्यक्ति जिला न्यायालय में संपति संबंधित वाद दायर करता है उसका मामला जिला न्यायालय द्वारा अतिरिक्त न्यायालय को भेज दिया जाता है एवं अतिरिक्त न्यायालय सुनवाई के पश्चात वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देता है डिक्री पारित होने के बाद प्रतिवादी द्वारा डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब वादी जिला न्यायालय में डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन करेगा।

यदि प्रतिवादी उच्च न्यायालय में अपील करता है और वादी पुनः डिक्री प्राप्त कर लेता है तब मूल न्यायालय ही डिक्री को निष्पादित करेगा न की अपीलीय न्यायालय।

लेखक एडवोकेट बीआर अहिरवार नर्मदापुरम 9827737665

2 जुलाई को परियोजना सिलवानी, सेक्टर सिलवानी के ग्राम गगनवाड़ा में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ स्कूल रेडीनेस मेला-2

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेनद्ध महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश एवं Pratham Education Foundation की साझेदारी में संचालित ÷समर कैम्प 2026 ङ्क स्कूल के लिए तैयारी!÷ कार्यक्रम के अंतर्गत रायसेन जिले के 61 सेक्टरों एवं 1,800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला-2 (SRM-2) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इसी क्रम में परियोजना सिलवानी के सेक्टर सिलवानी अंतर्गत ग्राम गगनवाड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर भी मेला उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। मेले में परियोजना अधिकारी आविदा बी, सुपरवाइजर सुरक्षा विश्वकर्मा एवं मानकुंवर प्रजापति शामिल हुए। उन्होंने विकासात्मक कॉर्नरों का अवलोकन किया, बच्चों की गतिविधियों का आकलन किया तथा अभिभावकों एवं माताओं से संवाद कर विद्यालयी तैयारी के महत्व पर चर्चा की। अधिकारियों ने आयोजन की

सराहना करते हुए सकारात्मक फीडबैक दिया। मेले का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा Pratham Education Foundation के जिला रिसर्च पर्सन हर्षित शर्मा ने स्वयंसेवकों के सहयोग से किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, माताओं एवं अभिभावकों ने भाग लिया। बच्चों का गतिविधि-आधारित पुनः आकलन कर अद्यतन रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रदान किए गए।

नवीन श्रम संहिताओं के नियम श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये जाएं

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन श्रम संहिताओं के नियमों को बनाया जाएं। नियमों की व्याख्या इस तरह हो कि आम श्रमिक भी आसानी से समझ सके। इन्हें अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक-केंद्रित बनाया जाए। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने विकास भवन में प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों की समीक्षा करते हुए कही। नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। श्रमिक कल्याण मंडलों एवं विभिन्न बोर्डों की संरचना में श्रमिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समूह बीमा योजना के नियम इस प्रकार तैयार करने पर बल दिया, जिससे असंगठित कर्मकारों को अधिकतम लाभ मिल सके। साथ ही संबल योजना

का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अंशदान में सरकार अथवा नियोक्ता की सहभागिता से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सहज एवं प्रभावी होगा। प्रस्तावित नियमों में कुछ प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट एवं संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। बीमा न्यायालय की कार्य प्रणाली, अर्द्धन्यायिक व्यवस्था तथा श्रमिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के विभिन्न प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय फ्लोर वेज तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के संबंध में कहा कि कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता, बाजार की वास्तविक परिस्थितियों तथा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित मजदूरी दरों का समुचित अध्ययन कर व्यावहारिक निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया अधिक यथार्थपरक बनाई जाए। श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में विशेष प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पत्रकार संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से संवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनके हितों के अनुरूप नियम तैयार किए जाएं। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रवासी श्रमिकों का सटीक डेटाबेस तैयार होने से उनके हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं नगरीय निकायों के वार्ड स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी तय करने के निर्देश दिए। श्रमिकों की दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना एवं सहायता के लिए सक्रिय पोर्टल तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों के लिए कार्य स्थलों पर सुलभ स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं गरिमा से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल करने पर भी बल दिया गया। निरीक्षक प्रणाली के स्थान पर सुविधा प्रदाता (फैसिलिटेटर) आधारित व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने नवीन श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य सूचना आधारित पंजीयन व्यवस्था को बढ़ावा देना, नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना तथा उद्योगों को सुगम कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में तकनीक आधारित पंजीयन, संस्थानों को 24म7 संचालन की सुविधा, पृथक बीमा न्यायालय, अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय फ्लोर वेज, असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी की पात्रता तथा श्रमजीवी पत्रकारों एवं अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों से संबंधित नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की श्रेणी में भोपाल का कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल राष्ट्रीय रेटिंग में शीर्ष पर

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय चयन सूची में मध्यप्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें शहरी वर्ग के अंतर्गत रतलाम जिले के सांदीपनि विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं, देवास जिले की शासकीय माध्यमिक शाला झिकड़ाखेड़ा ग्रामीण श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।÷स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग'' भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित पेयजल, बाल-अनुकूल शौचालय, हाथ धुलाई सुविधाएं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन, हरित परिसर विकास, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली गतिविधियों तथा व्यवहार परिवर्तन आधारित गतिविधियों सहित विभिन्न मानकों पर विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने के लिए विद्यालय स्व-मूल्यांकन कर आवेदन करते हैं। इस वर्ष राज्य स्तर पर व्यापक जन-

भागीदारी एवं जागरूकता के परिचायक के रूप में प्रदेश की कुल 78,149 शालाओं द्वारा 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग' अंतर्गत स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया में सहभागिता की गई थी। विभिन्न तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर राज्य स्तर से कुल 20 विद्यालयों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से मध्यप्रदेश के 10 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। इन सभी 10 चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा मेरिट प्रमाण-पत्र के साथ स्वच्छता एवं हरित गतिविधियों के सतत सुदृढ़ीकरण के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, इन विद्यालयों के संस्था प्रमुखों के लिए विशेष शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रदेश के 10 विद्यालयों में से 3 सांदिपनी विद्यालयों सहित कुल 8 शासकीय विद्यालय शामिल हैं। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा घोषित राष्ट्रीय रेटिंग में प्रदेश के 10 स्कूलों के चयन पर संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी चयनित विद्यालयों को बधाई दी है।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत बेतवा नदी में मॉक ड्रिल आयोजित, जवानों ने दिखाए रेस्क्यू कौशल

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के में जिला विदिशा में बंगला घाट स्थित बेतवा नदी पर 29 जून से 40 होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ जवानों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी बचाव कार्यों के लिए जवानों को व्यावहारिक रूप से दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस पर प्रशिक्षकों द्वारा जवानों को जल आपदाओं के दौरान किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में नदी, बाढ़ एवं जलभराव जैसी परिस्थितियों में बचाव कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकों, सुरक्षा उपायों तथा आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई। कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। इस दौरान नाव पलटने की स्थिति, नदी के बीच टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा डीप डाइविंग के माध्यम से खोज एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। जवानों ने विभिन्न आपदा परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित बचाव कार्यों का सफल प्रदर्शन कर अपनी दक्षता का परिचय दिया। मॉक ड्रिल के दौरान अपर कलेक्टर एवं एसडीएम उपस्थित रहे। उन्होंने आपदा प्रबंधन से संबंधित उपकरणों की जानकारी प्राप्त की तथा प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों, उपकरणों एवं जवानों की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए।प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जिले में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस प्रशिक्षण से जवानों की क्षमता में वृद्धि होगी और वे किसी भी आपदा की स्थिति में बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

दीक्षारंभ समारोह द्वितीय दिवसः परीक्षा, मूट कोर्ट और विधिक सहायता पर मार्गदर्शन

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम।

।उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार तथा प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित दीक्षारंभ समारोह का द्वितीय दिवस उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली तथा विधि शिक्षा के व्यावहारिक पक्षों से परिचित कराना था। इस सत्र में डॉ. अभिषेक सिंह ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय की परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम की संरचना, विषयवार अध्ययन योजना विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना तथा नियमित अध्ययन की आवश्यकता पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान

किया। आंतरिक एवं वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली, उत्तर लेखन की तैयारी तथा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। उन्होंने विधि शिक्षा में मूट कोर्ट की उपयोगिता, न्यायालय भ्रमण के महत्व तथा विधिक सहायता क्लिनिक की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारिक विधिक ज्ञान, न्यायालयीन प्रक्रिया की समझ तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव प्राप्त होता है। इस सत्र में डॉ. महेंद्र कुमार पटेल ने विद्यार्थियों को विधि पाठ्यक्रम को समयबद्ध अध्ययन, विधिक पुस्तकों के नियमित अध्ययन, न्यायिक निर्णयों के विश्लेषण तथा समसामयिक विधिक विषयों से निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ व्यावसायिक दक्षता भी प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर जिज्ञासाएँ व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए विधि शिक्षा के माध्यम से समाज एवं न्याय व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय शिक्षा व्यवस्था पर दो बडे फैसलों से बढी चिंता- छात्रावासों के निजीकरण और विद्यालयों के विलय पर उठे सवाल

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति) एवं जनजातीय कार्य विभाग (अनुसूचित जनजाति) के छात्रावासों का संचालन निजी एजेंसियों (आउटसोर्स) के माध्यम से कराने तथा इन विभागों के विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग में विलय किए जाने की तैयारियों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और कर्मचारी वर्ग में चिंता व्यक्त की जा रही है। उनका कहना है कि इन प्रस्तावित बदलावों का प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

छात्रावासों के निजीकरण पर सवाल

जानकारी के अनुसार, छात्रावासों में वर्तमान सरकारी अधीक्षकों के स्थान पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन, निगरानी और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। साथ ही ठेका व्यवस्था में पारदर्शिता एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विद्यालयों के विलय से बढ़ सकती हैं समस्याएँ प्रस्तावित योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों का स्कूल

शिक्षा विभाग में विलय किया जा सकता है। इस पर चिंता जताते हुए कहा जा रहा है कि इससे इन विद्यालयों की अलग पहचान समाप्त हो सकती है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में ड्रॉपआउट दर बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नियमित सरकारी रोजगार पर असर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि छात्रावासों का संचालन पूरी तरह आउटसोर्स व्यवस्था से किया गया तो भविष्य में सरकारी अधीक्षक एवं अन्य नियमित पदों पर भर्ती की संभावनाएँ कम हो सकती हैं। इससे युवाओं के स्थायी रोजगार के अवसर प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

पहले से बदहाल हैं कई छात्रावास

प्रदेश के अनेक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावास पहले से ही बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई स्थानों पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बिजली, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बताया जा रहा है। कई भवन जर्जर स्थिति में हैं और लंबे समय से मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सुधार की उठी मांग

सामाजिक संगठनों और संबंधित पक्षों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले छात्रावासों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार, गुणवत्तापूर्ण भोजन, सुरक्षित आवास, बेहतर शैक्षणिक वातावरण तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका मानना है कि मूलभूत समस्याओं के समाधान के बाद ही किसी बड़े संरचनात्मक बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया या अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। यदि इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो उनका प्रभाव प्रदेश के हजारों अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विद्यार्थियों तथा संबंधित कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसलिए सभी पक्षों से व्यापक संवाद और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है।

ओबीसी तुम सुते हो अब तक,
उठ भी जाहू तब कांवर उठाहू।
सरकार तुंहर हक ला छीनत हे,
तरक्की अब तुम कहां ले पाहू।।
देस भर मा ओबीसी समाज के, आरक्षन ला खतम करत हे।
तीन प्रतिसत वाले मन हा,
तुम ला लूट के घर भरत हे।।
लक्ष्मी नारायण कुम्भकार
सचेत दुर्ग (छ0ग0)

भोपाल जिले में अवैध कालोनियों पर लगातार कार्यवाही सोलह करोड़ से ज्यादा की अवैध कालोनियों को तोड़ा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

तहसील हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में लगातार कार्यवाही जारी हैं। ग्राम पंचायत फतेहपुर डोबरा और महुआ खेड़ा में 16 करोड़ से ज्यादा मूल्य की अवैध कालोनियों पर सख्त कार्रवाई की गई। ग्राम फतेहपुर डोबरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा नंबर 414 एवं खसरा नंबर 415 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि जो कि अर्सलान खाँ के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्त्व पर दर्ज है। एसडीएम हुजूर के निर्देशन में तहसीलदार तहसील हुजूर अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार राकेश पिप्पल एवं वृत्त के पटवारियों द्वारा एफटीएल से 33 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माण को हटाया गया। जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 4 करोड़ रुपये है। ग्राम महुआ खेड़ा स्थित खसरा नम्बर 19/2 रकबा 1.510 हे. एवं खसरा नम्बर 41/19/1/2 रकबा 0.506 इस प्रकार कुल रकबा 2.016 हेक्टेयर भूमि जो कि मीत पाटीदार पुत्र अजय पाटीदार एवं खुशीलाल पाटीदार पुत्र मूलचंद पाटीदार के नाम भूमि स्वामी स्वत्त्व पर दर्ज है, जिस पर मीत पाटीदार द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था जिसे राजस्व दल द्वारा कारवाही कर तोड़ा तोड़ गया। जिसकी अनुमानित मूल्य 12 करोड़ है।

'जिला रायसेन में वर्षों से रिक्त शासकीय महाविद्यालयीन बालक छात्रावास पर उठे सवाल, युवाछात्र संघ ने शीघ्र संचालन, उच्चस्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग'

अनुसूचित जाति-जनजाति युवाछात्र संघ, मध्यप्रदेश की प्रांतीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी प्रियंका जाटव ने जिला रायसेन स्थित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालयीन बालक (पोस्ट मैट्रिक) छात्रावास के विगत लगभग तीन-चार वर्षों से रिक्त रहने के गंभीर मामले को शासन के समक्ष उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित एवं सुलभ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित छात्रावास का वर्षों तक रिक्त रहना अत्यंत चिंताजनक है। इससे शासन की छात्रहितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। प्रेस को जारी बयान में कहा गया है कि यदि छात्रावास में प्रवेश के लिए समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक जानकारी पहुँचाई जाती, तो बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते थे। जानकारी के अभाव में अनेक विद्यार्थी छात्रावास से वंचित रह गए। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययन हेतु रायसेन आने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर महाविद्यालयों तक आना-जाना पड़ रहा है। इससे समय, धन एवं ऊर्जा की हानि होने के साथ-साथ उनकी नियमित पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा शैक्षणिक प्रगति भी प्रभावित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनेक विद्यार्थी इन कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा से भी वंचित होने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। युवाछात्र संघ ने शासन से मांग की है कि छात्रावास के वर्षों तक रिक्त तथा बंद रहने के कारणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा प्रशासनिक शिथिलता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि छात्रावास को आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ शीघ्र पुनः पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाए, प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए तथा समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया, विभागीय वेबसाइट, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित

किया जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल जानकारी के अभाव में इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रहे। साथ ही यह भी मांग की गई है कि पिछले वर्षों में छात्रावास रिक्त रहने की अवधि के दौरान पात्र विद्यार्थियों को आवास सहायता राशि अथवा अन्य संबंधित लाभ किस नियम एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रदान किए गए, इसकी भी जांच कराई जाए तथा भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी निगरानी एवं उत्तरदायित्व निर्धारण की स्थायी व्यवस्था लागू की जाए। कुमारी प्रियंका जाटव ने कहा कि यदि विभाग चाहे तो अनुसूचित जाति-जनजाति युवाछात्र संघ, मध्यप्रदेश छात्रावास में प्रवेश बढ़ाने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पात्र विद्यार्थियों तक सूचना पहुँचाने में पूर्ण सहयोग देने के लिए सदैव तैयार है। संगठन का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से पहुँचे।उन्होंने शासन से अपेक्षा व्यक्त की कि विद्यार्थियों के भविष्य एवं सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर विषय पर त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

नरसिंहपुर जिला से उठी आवाज शहीद वीर मनीराम अहिरवार को मिले सम्मानः रंजीत कुमार चौधरी

सम्पूर्ण रविदास समाज मिलन समारोह नरसिंहपुर में समस्त सामाजिक नागरिकों द्वारा पुरजोर मांग उठाई कि देश आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर मनीराम अहिरवार जी को अभी तक सम्मान क्यों नहीं- बाबूलाल जाटव पार्षद गाडरवारा

चीचली। नरसिंहपुर - विगत दिनों नरसिंहपुर जिले के इतिहास में सम्पूर्ण रविदास समाज मिलन समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें रविदास समाज में आने वाले सभी उपजातियों के सामाजिक नागरिकों ने भाग लिया। इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता कैलाश जाटव अध्यक्ष मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ने की। वही मुख्य अतिथि के. पी. राही (पूर्व आईएएस), सेठ गोपीचंद अहिरवार संयोजक अहिरवार समाज महापरिषद जबलपुर, ओ. पी. कौशिक पूर्व डीएफओ संयोजक सतगुरु रविदास विचार महासंघ, श्याम सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष सतगुरु रविदास विचार महासंघ मध्यप्रदेश विशिष्ट अतिथि रंजीत कुमार चौधरी जिला प्रभारी अहिरवार समाज महापरिषद, ललित कुमार चौधरी कार्यक्रम सहसंयोजक, घनश्याम जाटव जिला अध्यक्ष अहिरवार समाज महासंघ, विनोद मांडले मीडिया प्रभारी सहित बाबूलाल जाटव पार्षद गाडरवारा ने मध्यप्रदेश सरकार से सभी के साथ बुलंद आवाज़ उठाने है कि चीचली के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर मनीराम अहिरवार का नाम मध्यप्रदेश शासन की शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची में दर्ज कर सम्मान दिया जाये। सम्पूर्ण रविदास समाज का मिलन समारोह सदर मढ़िया नरसिंहपुर में अहिरवार समाज महापरिषद एवं सतगुरु विचार महासंघ तथा अहिरवार समाज संघ सहित जाटव, चौधरी उपजाति के हक अधिकार व कुरीतियों के बहिष्कार के संबंध में आयोजित था। जिसके माध्यम से वीर मनीराम अहिरवार के त्याग, साहस और देशभक्ति से सामाजिक नागरिकों ने और डा. कमलेश कुमार अहिरवार जिला उपाध्यक्ष अहिरवार समाज संघ भारत नरसिंहपुर बरमान कला निवासी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि हमारे महान क्रांतिकारी के संबंध में अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख, शोध सामग्री तथा सामाजिक एवं साहित्यिक अभिलेख उपलब्ध होने के बाद भी हमारे महापुरुष के सम्मान की अनदेखी क्यों? जबकि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा आजादी के भूले बिसरे शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पहचान दिलाने के आवाहन के पश्चात अनेक पत्रकार, साहित्यकार शोधकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों ने उनकी गौरवगाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसके बावजूद आज तक उनके योगदान पर शासन द्वारा अपेक्षित मान्यता प्राप्त न होना समाज में भारी नाराजगी एवं हमारे महापुरुषों की अनदेखी देखी जा रही है। बहरहाल नव नियुक्त नरसिंहपुर जिले के है समाज के पूर्व विधायक कैलाश जाटव जो कि गोटेगांव विधानसभा के विधायक रह चुके है तथा उन्हें मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जिन्हें ही सर्व समाज द्वारा आवेदन पत्र सौप कर मांग की है कि वह इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कर समाज को गौरवंतित करेगें।

रायसेन में किशोर स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेनन्द्रु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (क्र्यस्थ्य) एवं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत एफपीएआई शाखा भोपाल द्वारा 29 जून से 1 जुलाई तक सलामतपुर स्थित संघमित्रा रिसॉर्ट में तीन दिवसीय आवासीय %एम्बेसडर प्रशिक्षण% का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों तथा उनके समाधान पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों को बच्चों के लिए आदर्श रोल मॉडल बनकर उचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रियंका चौहान, परियोजना समन्वयक श्री वरुण दुबे एवं बीईओ श्री शैलेंद्र यादव ने किया। प्रशिक्षण का संचालन किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता मिथुन यादव ने किया। मास्टर ट्रेनर्स अमिता शर्मा, उषा सराठे, अरविंद कुमार एवं हेमंत कुमार लोधी ने प्रशिक्षण दिया। समापन अवसर पर डॉ. दिनेश खत्री, डॉ. अनिल ओड एवं डॉ. प्रीति वाला ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। भोपाल से आई सुश्री जागृति चौधरी ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर प्रतिभागियों से फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने किशोर-किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सशक्त भविष्य के लिए ऐसे प्रशिक्षणों को उपयोगी बताया।

विश्व एमएसएमई दिवस पर रवीन्द्र भवन में हुई 'सशक्त उद्यमी : समृद्ध मध्यप्रदेश' समिट

मप्र को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा औद्योगिक विकास: सीएम मोहन यादव

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एमएसएमई सेक्टर में भारत को ग्लोबल चैम्पियन बना रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय क्षेत्र दूसरों के जीवन को सुखद बनाते हैं। उद्यमी कर्म को पूजा और श्रम को साधना मानते हैं। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी और सुख का सूरज निकलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आगामी वर्ष 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट में प्रधानमंत्री श्री मोदी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को रवीन्द्र भवन में ÷विश्व एमएसएमई दिवस÷ पर हुई ÷सशक्त उद्यमी ¯ समृद्ध मध्यप्रदेश÷ समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों, कला शिल्पों की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी रविवार 28 जून को भी सभी के लिए खुली रहेगी। शासन द्वारा कपास पर मंडी शुल्क आधा करने सहित उद्यमियों और किसानों के हित में अनेक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का बुरहानपुर सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया गया। समिट में लगभग 2000 उद्यमियों, निवेशकों, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों सहित नीति निर्माताओं ने भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में लगभग 7 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं, जिसमें 25 लाख मध्यप्रदेश में हैं। प्रदेश की इकाइयां लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। जीडीपी में 31 प्रतिशत की हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। निर्यात में 49 प्रतिशत और विनिर्माण उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 35 प्रतिशत है। इस तरह एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश का एमएमसएमई सेक्टर जनकल्याण का माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में रिमोट से एमएसएमई इकाइयों के साथ ही वृहद उद्योगों

के लिए भी राशि जारी की। एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख की राशि और विभिन्न स्टार्ट-अप के लिए लगभग 39 लाख की राशि प्रदान की गई। बड़े उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1274 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। इस तरह कुल 1500 करोड़ रुपए उद्योग क्षेत्र को प्रदान किए गए। मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मई 2026 तक की समस्त देनदारी का भुगतान उद्यमियों को निवेश सहायता के रूप में किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगों के विकास में मध्यप्रदेश आगे है। राज्य सरकार द्वारा कपास के मंडी शुल्क को आधा करने के निर्णय का लाभ किसानों और उद्यमियों को प्राप्त होगा। एमएसएमई दिवस पर एमओयू और उद्योगों के लिए भूखंडों के आवंटन का कार्य हुआ है। राज्य में प्रत्येक जगह उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में मध्यप्रदेश देश के सबसे इंडस्ट्री प्रोमोटिंग स्टेट के रूप में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कनाडा, यूके, अमेरिका, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल डिवाइस आदि क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। भोपाल में वर्ष 2025 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 9 हजार 300 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण करना भी आवश्यक है। वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस पूरे वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर को आधुनिक तरीके से नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। किसानों को ऋण चुकाने के लिए नई सौगात दी गई है। किसान जिस तारीख को ऋण लेंगे, उसके 12 माह की अवधि में ऋण भर सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च की बाध्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2024 को गरीब कल्याण और वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया।

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुधारों को लागू करने में आगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 23 औद्योगिक सुधारों को शत-प्रतिशत लागू करने में मध्यप्रदेश टॉप अचीवर है। औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है। आज प्रदेश के 13 जिलों में 14 औद्योगिक केंद्र और भवनों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया है।

भारत आएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते एक नए सुनहरे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। रुबियो ने साफ किया कि वह खुद इस ऐतिहासिक वीवीआईपी दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील (व्यापार समझौते) को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर रुबियो ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच के करीबी निजी रिश्ते दोनों देशों के मजबूत संबंधों की सबसे बड़ी बुनियाद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे खुद पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल पावर (वैश्विक ताकत) बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच की यह साझेदारी आने वाले समय में असीमित संभावनाओं को छूने वाली है।

कामराज प्लान की तर्ज पर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन!

नई दिल्ली,एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। इसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जिस तरह की दिल्ली में चर्चा है, उसके अनुसार इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कामराज प्लान की तर्ज पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जो नए चेहरे होंगे, अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे। इसमें कुछ नए

प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जो प्रशासनिक अधिकारी से राजनीति में आए वर्तमान मंत्री हैं। उनकी जल्द छुट्टी की जा सकती है। चीन युद्ध के समय जब भारत, चीन से पराजित हुआ था। उ सके बाद कांग्रेस संगठन और जवाहरलाल नेहरू की पहल पर कामराज प्लान लागू किया गया था।

महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, परीक्षा रद्द की

पेपर ठाणे से बरामद; सरकारी टीचर्स के लिए ये परीक्षा जरूरी

मुंबई।

महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया और जब्त पेपर को वेरिफाई कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि संख्या नहीं बताई है। यह कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई। परीक्षा में 4.28 लाख ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है। सूत्रों के मुताबिक, भिवंडी पुलिस को पेपर लीक होने की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने ठाणे में छापा मारा, जहां कुछ लोगों के पास सीलबंद टीईटी 2026 प्रश्न पत्र के पन्ने पाए गए।

सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला

नव्य, दिव्य और भव्य सिंहस्थ के लिए तेजी से चल रही हमारी तैयारी - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

शरीर में सूजन आई तो माताजी का दिया हवाला; इकलौते बेटे की मौत से पिता सदमे में, क्लिनिक सील करने की तैयारी

ग्वालियर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हर 12 साल में होने वाला सिंहस्थ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह हमारी अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति, दर्शन, पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, अटूट आस्था और हमारी आध्यात्मिक परम्पराओं का महासंगम है। इस धार्मिक उत्सव में मां शिप्रा के जल में स्नान करने से पापों का शमन होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सिंहस्थ - 2028 को नव्य प्रारूप में भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए हमारी सभी तरह के प्रबंधन एवं तैयारियां तेजी से जारी हैं। हम सब मिलकर पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण से काम करेंगे, तभी सिंहस्थ - सिंहस्थ-2028 एक नई मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को उज्जैन में सिंहस्थ-2016 के अनुभव, 2028 का संकल्प विषय पर हुई एक वृहद प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत् शुभारंभ किया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ - 2028 के महाआयोजन से जुड़े सभी प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और अन्य निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों से कहा कि सिंहस्थ केवल एक मेला नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र बिन्दु है। यह हमारी परम्पराओं, विरासत का भव्य प्रतीक है। इसकी गरिमा बनाए रखने हम सभी की जिम्मेदारी है। अधिकारी-कर्मचारी-स्वयंसेवी संगठन-जनप्रतिनिधि सभी लोग एक टीम की तरह सेवा भावना से कार्य करें, क्योंकि टीम वर्क ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि ÷स्वच्छ सिंहस्थ, स्वस्थ सिंहस्थ÷ ही हमारा संकल्प है। सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और त्वरित राहत व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैन और इसके आस-पास के सभी जिलों में वर्तमान में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक की लागत के विभिन्न श्रेणी के कई विकास कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर उज्जयिनी सम्राट विक्रमादित्य के काल का वैभव पुन- प्राप्त कर धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ - 2028 के दौरान करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का अनुमान है। शिप्रा के नवीन घाटों और मौजूदा घाटों पर 24 घंटे में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान कर सकेंगे। हमारी सरकार हर तरह के प्रबंध कर रही है ताकि सभी श्रद्धालु मां शिप्रा के जल से ही स्नान कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देशभर में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली है। विरासत से विकास का अनुष्ठान चल रहा है। हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक नगरियां देश-दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। उज्जैन काल और महाकाल की नगरी है। सौभाग्यशाली लोगों को ही उज्जैन आने का अवसर मिलता है। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए उज्जैन में दूरगामी दृष्टि के साथ अधोसंरचना विकास के कार्य जारी हैं। यहां किए जा रहे कार्य परमात्मा के आशीर्वाद से हो रहे हैं। सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए हर बार पिछली चुनौतियों को लेकर मंथन हुआ है। यह कार्यशाला भी इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की गई है।

सिंहस्थ - 2028 के लिए समितियों का होगा गठन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 1980 के सिंहस्थ में उन्होंने स्वयं भी स्काउट एंड गाइड वॉलेंटियर के रूप में श्रद्धालुओं की सेवा की थी। वर्ष 1992 में सिंहस्थ समिति की बैठकों में शामिल होने का अवसर भी मिला। सिंहस्थ समितियों में हर वर्ग के अनुभवी लोगों को शामिल कर उनके सुझाव लिए जाते हैं। आगामी सिंहस्थ के लिए सभी समितियों का गठन होना है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सिंहस्थ है। सिंहस्थ में पहले साधु-संतों और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था कराने की चुनौती थी।

जिले में रविवार को 3 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की दवा

ग्वालियर

ग्वालियर जिले में रविवार 28 जून को जन्म से 5 वर्ष के सभी बच्चों को जिंदगी की दो बूँद अर्थात पल्स पोलियो की दवा पिलाई जायेगी। जिले में अभियान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रयास करें कि जिले का कोई भी बच्चा पल्स पोलियो की दवा से वंचित न रहे। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिये नजदीकी बूथ पर जाकर पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एम.एस.सागर ने बताया कि ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। 28 जून को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जायेगी। सभी अभिभावक प्रयास करें कि वे अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर ही दवा पिलवाएं। जो बच्चे किसी कारणवश 28 जून को दवा नहीं पी पायेंगे, उनको 29 एवं 30 जून को घर-घर जाकर दवा पिलाई जायेगी। अभियान को अंजाम देने के लिये जिले में 2 हजार 356 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। जिले में 3 लाख 30 हजार 399 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की मोनीटरिंग के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी अधिकारी क्षेत्र में जाकर पोलियो बूथ टीम को सहयोग एवं मार्गदर्शन देंगे।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आर.के.गुप्ता ने बताया कि पल्स पोलियो के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिये शनिवार 27 जून को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ पल्स पोलियो की रैली निकाली गई। साथ ही प्रचार रथ के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया।

जिले में संचालित अजा. उत्कृष्ट छात्रावासों के बच्चों को दिलाई जायेगी निःशुल्क कोचिंग

ग्वालियर

ग्वालियर जिले में सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के उत्कृष्ट छात्रावासों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस सिलसिले में कोचिंग देने के इच्छुक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से 5 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र शारदा विहार सिटी सेंटर स्थित सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। 11वी व 12वी के लिये रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्कृष्ट छात्रावासों में निवासरत 9वी एवं 10वी कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व कम्प्यूटर की निःशुल्क कोचिंग दिलाई जायेगी। इसी तरह 11वी व 12वी के बच्चों को गणित भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, कॉमर्स व कम्प्यूटर विषयों की कोचिंग दिलाई जानी है। जिले में अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास भितरवार, घाटीगांव, डबरा, हुरावली क्र.-1 व हुरावली क्र.-2 में संचालित है। इसी तरह अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास भितरवार, घाटीगांव एवं झांसी रोड पर संचालित हैं।

दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक मान्य होंगे

ग्वालियर

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से संचालित ÷मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना÷ के तहत ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक किये जा सकेंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए एनआईसी मध्यप्रदेश के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। ग्वालियर जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं स्वीकृति-अस्वीकृति की प्रक्रिया 15 सितम्बर 2026 तक पूर्ण की जाएगी।

योजना के अंतर्गत अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी पात्रतानुसार स्वयं स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिला कार्यालयों में प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों को भी संयुक्त अथवा उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा। पात्रता एवं नियमानुसार आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा।

सीएमओ का फील्ड पर एक्शनः आवास, पानी, जाम और कचरे पर दिए सख्त निर्देश

● ज्वाइनिंग के बाद से लगातार सड़कों पर उतरकर कर रहे काम, आए दिन चर्चा में रहते हैं सीएमओ
● खगड़िया बस्ती को मिलेगा आवास व हैंडपंप, सब्जी ठेले वालों को समझाइश,
● गंदगी फैलाने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई

सुठालिया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र चक्रवर्ती शनिवार को पूरे एक्शन मोड में नजर आए। ज्वाइनिंग के दिन से ही लगातार सड़कों पर उतरकर काम करने वाले सीएमओ आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने शहर के अलग-अलग इलाकों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर ही कई अहम निर्देश दिए।

खगड़िया बस्ती में पहुंचे सीएमओ, आवास के आवेदन कराने के निर्देश

सुबह सीएमओ सबसे पहले मऊ रोड स्थित खगड़िया बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। जानकारी के अभाव में बस्ती के कई पात्र परिवार अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए अधीनस्थ अमले को तत्काल कैंप लगाकर सभी पात्र लोगों के आवेदन कराने के निर्देश दिए।

बस्ती की महिलाओं ने पेयजल संकट की पीड़ा भी बताई। उन्होंने कहा कि पास में कोई हैंडपंप या जल स्रोत न होने से हर दिन दूर से पानी ढोना पड़ता है। सीएमओ ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि प्राथमिकता के आधार पर बस्ती में हैंडपंप स्वीकृत कर लगाया जाएगा।

मुख्य सड़क पर ठेले वालों को दी समझाइश

इसके बाद सीएमओ ने मुख्य सड़क का निरीक्षण किया। यहां सड़क किनारे लगे सब्जी के ठेलों से यातायात बाधित हो रहा था। सीएमओ ने सभी विक्रेताओं को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर समझाइश दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ठेले निर्धारित वेंडिंग जोन में ही लगाएं, ताकि जाम की स्थिति न बने और राहगीरों को परेशानी न हो। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

कचरे के ढेर देख भड़के सीएमओ, स्वच्छता प्रभारी को लगाई फटकार

ब्यावरा मुख्य मार्ग से गुजरते समय सड़क किनारे कचरे के ढेर देख सीएमओ भड़क गए। उन्होंने तत्काल स्वच्छता प्रभारी को मौके पर तलब किया। सीएमओ ने कहा कि स्वच्छता अभियान में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़क पर कचरा फेंकने वालों को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई करने और रोज सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने कहा कि नगर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना नगर पालिका के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है।

एसबीआई एटीएम में कार्ड बदलकर 40 हजार की धोखाधड़ी, पंचायत सचिव ने पुलिस में की शिकायत

तेंदूखेड़ा

नगर स्थित सेंट्रल बैंक के सामने लगे एसबीआई एटीएम में एक सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत पतलोनी के सचिव एवं वार्ड क्रमांक 08, विद्यानगर निवासी मिट्ठू सिंह गोंड के साथ अज्ञात बदमाशों ने एटीएम कार्ड बदलकर उनके बैंक खाते से 40हजार की अवैध निकासी कर ली। पीड़ित के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग 11:55 बजे वे एसबीआई एटीएम से राशि निकालने पहुंचे थे। इस दौरान उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। तभी वहां मौजूद एक अज्ञात युवक ने एटीएम पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने शाम 4 बजे कार्ड निकलवाने का आश्वासन दिया। इसी बीच युवक ने कार्ड निकालने के बहाने एटीएम पिन दर्ज करने को कहा। पीड़ित के अनुसार, युवक उनके बिल्कुल पास खड़ा था, जिससे उसने उनका पिन देख लिया। दोपहर करीब 1 बजे जब पीड़ित पुनः एटीएम पहुंचे तो उनके कार्ड की जगह कोई दूसरा कार्ड मशीन में फंसा मिला।

बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक अफसर से की मारपीट,सामान सड़क पर फेंका बुजुर्ग ने कहा थाने में नहीं हुई सुनवाई

नर्मदापुरम।

शहर के कोठी बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के पास बने ऐतिहासिक लाल बंगला परिसर में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कुछ असामाजिक तत्वों और भाड़े के बदमाशों ने एक पुश्तैनी मकान का ताला तोड़कर उत्पाद मचाया। बदमाशों ने एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उनके घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित द्वारका प्रसाद मालवीय अपने निवास पर कुछ जरूरी सामान निकालने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने जबरन मकान का ताला तोड़ दिया और घर के अंदर रखा पूरा सामान सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। बुजुर्ग के साथ

जमकर हाथापाई की गई और उन्हें निर्ममता से पीटा गया। बुजुर्ग और उनकी पत्नी लंबे समय से अस्वस्थ हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है यह हमारा पुश्तैनी मकान है। मेरे बड़े भाई से इस विषय में आपसी समझौते की बातचीत चल रही थी। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय असामाजिक तत्वों से मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि पुलिस के इस अमानवीय और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के बाद अब वे एसपी से इसकी शिकायत करेंगे।

युवा कांग्रेस ने किया सीएम का पुतला दहन, उज्जैन भूमि आवंटन मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग

सारनी।

मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस ने उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में कथित शासकीय भूमि आवंटन मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में शनिवार को सारनी में मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश ऐरोलू एवं सारनी ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष गौतम नागले के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया तथा कथित भूमि आवंटन प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा मोहन प्रॉपर्टी डीलर शीर्षक से पोस्टर भी जारी किए गए। इन पोस्टरों का वितरण सारनी कांग्रेस कार्यालय से लेकर जय स्तंभ

चौक तक किया गया। कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों को पोस्टर वितरित कर कथित भूमि आवंटन मामले और उससे जुड़े आरोपों की जानकारी दी। प्रदेश महासचिव योगेश ऐरोलू ने आरोप लगाया कि उज्जैन जिले के महाकाल क्षेत्र में कथित रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को शासकीय भूमि आवंटित किए जाने का मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मामले की पारदर्शी जांच होती है तो पूरे प्रकरण की वास्तविकता सामने आ सकेगी। वहीं, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष गौतम नागले ने कहा कि उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में कथित रूप से रसूखदार व्यक्तियों के परिजनों को नियमों के विपरीत शासकीय भूमि आवंटित किए जाने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग 168 एकड़ शासकीय भूमि के आवंटन से शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण आम नागरिकों में भी नाराजगी और आक्रोश का माहौल है। प्रदर्शन के उपरांत बड़ी संख्या में मौजूद युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर सारनी एसडीओपी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुकरू के सुप्रसिद्ध मावा का लिया स्वाद

मुख्यमंत्री ने कुकरू में कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं से किया आत्मीय संवाद

भैंसदेही

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने दो दिवसीय जिले के हिल स्टेशन कुकरू प्रवास के दौरान 27 जून को कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया तथा महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने महिलाओं से समूह की गतिविधियों, आय के स्रोत तथा शासकीय योजनाओं से प्राप्त सहयोग की जानकारी ली और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने दुकान में उपलब्ध मावा बनाने की प्रोसेस को देखा और महिलाओं से आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए

लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिलाओं से लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि योजना की राशि नियमित रूप से प्राप्त हो रही है या नहीं। महिलाओं ने योजना का लाभ मिलने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह कुकरू की अध्यक्ष श्रीमती शोभा गायने ने बताया कि समूह को विभिन्न योजनाओं के तहत सीसीएल से 3 लाख रुपये, सीआईएफ से 1 लाख रुपये, आरएफ से 11 हजार रुपये तथा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि समूह में 11 सदस्य कार्यरत हैं।

आजीविका मिशन से मावा बनाने की स्वचलित मशीन क्रय की गई। इससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपए की मासिक आय प्राप्त हो रही है।

समूह की सदस्य महिलाओं ने बताया कि वे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मावा, रबड़ी एवं श्रीखंड निर्माण के साथ-साथ कृषि कार्य भी कर रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से समूह की महिलाओं को लगभग 15 से 18 हजार की मासिक आय प्राप्त हो रही है। जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य एवं सांसद श्री दुर्गादास उइके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान, मप्र जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर ने भी रबड़ी का स्वाद लिया। इस अवसर पर कमिश्नर श्री श्रीकांत बनोठ, आईजी श्री मिथलेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन उपस्थित थे।

मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने की विशेष जनसुनवाई

तेंदूखेड़ा ! राज्यमंत्री मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने शनिवार को नोहटा स्थित अपने कार्यालय में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों की छोटी-बड़ी समस्याएं सुनी गईं और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। मंत्री लोधी ने बताया कि जनसुनवाई में कुल 56 लिखित आवेदन प्राप्त हुए, जबकि कुछ लोगों ने मौखिक रूप से भी अपनी समस्याएं रखीं। इनमें से कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया तथा शेष मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसी उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक नोहटा कार्यालय में नियमित जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।

महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डॉ. राजकुमार आचार्य का विदाई एवं सम्मान समारोह सम्पन्न

करेली।

आदर्श शिक्षण समिति द्वारा संचालित महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के वर्तमान कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य के महाविद्यालय में कार्यकाल पूर्ण होने पर शनिवार को गरिमामय सेवानिवृत्ति एवं विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदर्श शिक्षण समिति के अध्यक्ष मधुसूदन पालीवाल, पूर्व प्राचार्य डॉ. यू.सी. विश्वकर्मा, संजीव खजांची, समिति के सचिव राजीव अग्रवाल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए.के. अग्रवाल तथा प्रशासक डॉ. संजीव चौबे सहित आदर्श शिक्षण समिति एवं मित्र मिलन

संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य, नगर के वरिष्ठ पत्रकार, गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता कर डॉ. आचार्य का आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण समिति एवं मित्र मिलन संस्था द्वारा मुख्य अतिथि पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर का भी शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं डॉ. राजकुमार आचार्य के सम्मान में तैयार सम्मान-पत्र का विधिवत वाचन महाविद्यालय प्राचार्य डॉ ए के अग्रवाल द्वारा किया गया किया गया, जिसमें शिक्षा, प्रशासन और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान का विस्तार से उल्लेख किया गया। अपने उद्बोधन में डॉ. राजकुमार आचार्य ने कहा कि, महात्मा गांधी महाविद्यालय मेरे लिए केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि मेरा परिवार है। यहाँ बिताया गया प्रत्येक क्षण मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर रहेगा। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और समाज निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी से शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर, पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, अध्यक्ष मधुसूदन पालीवाल, पूर्व प्राचार्य डॉ. यू.सी. विश्वकर्मा, समिति के सचिव राजीव अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. ए.के. अग्रवाल, प्रशासक डॉ. संजीव चौबे तथा अन्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में डॉ. राजकुमार आचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, अनुशासनप्रिय, दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता बताया। वक्ताओं ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में महाविद्यालय ने शिक्षा, शोध, गुणवत्ता एवं संस्कारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं तथा उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। समारोह में वक्ताओं ने डॉ. आचार्य के उत्कृष्ट शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं नेतृत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में महाविद्यालय ने शिक्षा, शोध और अनुशासन के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कीं। अतिथियों ने उन्हें शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल भविष्य की मंगलकामनाएँ दीं। कार्यक्रम का वातावरण आत्मीयता, सम्मान और भावनाओं से ओत-प्रोत रहा। अंत में महाविद्यालय परिवार ने डॉ. राजकुमार आचार्य को भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का मंच संचालन महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ पंकज नेमा ने किया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)